न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर, जिला हरिद्वार

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः /2022

कम्प्यूटर नं0–

सरकार बनाम अकरम उर्फ भोलू

मु0अ0सं0ः–598/2022
अं0 धारा–380,457,411 भा0दं0सं0
थाना को0 लक्सर, हरिद्वार।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज राणा।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इकराम अली।

दिनांक– 10.10.2022,

प्रार्थी/अभियुक्त अकरम उर्फ भोलू पुत्र श्री अहसान निवासी मौहल्ला पटवारियान सुल्तानपुर आदमपुर थाना को0 लक्सर, जिला हरिद्वार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता द्वारा मु0अ0सं0ः 598/2022 अन्तर्गत धारा 380,457,411 भा0दं0सं0 में थाना को0 लक्सर जिला हरिद्वार के मामले में प्रस्तुत किया गया हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त बेगुनाह बेकसूर है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप झूठा है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त से पुलिस द्वारा जो बरामदगी दिखायी गयी है वह झूठी व फर्जी है। अभियुक्त दिनांक 19.07.2022 से जेल में है। अभियुक्त स्थायी निवासी है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अजमानतीय प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर वादी द्वारा ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी में ओवरहेड टैंक बनाये जाने के दौरान रात्रि में उसकी झौपड़ी से एक ग्राईन्टर, एक वाईलेटर मोटर व तीन मोबाईल चोरी करने व पुलिस द्वारा अभियुक्त से चोरी की गयी उक्त कटर मशीन बरामद होने के आरोप लगाये गये है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर, संज्ञेय व अजमानतीय प्रकृति के हैं। इस स्तर पर मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अकरम उर्फ भोलू का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 380,457,411 भा0दं0सं0 खारिज किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

(सीमा डुँगराकोटी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
लक्सर, जिला हरिद्वार